बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या–09/निधि–(OPRMC)–01–07/2025– 170 (S) WEP पटना, दिनांक : 17/01/2026

सेवा में, कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग (संलग्न आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–41 अधीन मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष–03 – राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष–103–रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष– 0002–अन्य अनुरक्षण व्यय, विषयशीर्ष– 0002.27.02 – अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

आदेश :– उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ –2 में अंकित प्रमंडलों/निगम/कार्यालय के लिए स्तम्भ–4 में अंकित राशि के अनुरूप वर्त्तमान में कुल राशि **₹44,20,00,000/–(चौवालीस करोड़ बीस लाख रूपये)** मात्र आवंटित किया जाता है।

2. यह व्यय उपर्युक्त माँग संख्या– 41, मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष 03 – राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष –103 – रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष 0002–अन्य अनुरक्षण व्यय, विषयशीर्ष –0002.27.02– मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है। इस राशि का विपत्र कोड–41-3054031030002 है।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561/वि॰(2) दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 227/ वि॰, दिनांक– 28.03.2025, पत्रांक–235 /वि॰ दिनांक–01.04.2025 एवं ज्ञापांक–18/BCF-230/2025 दिनांक–06.10.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध वित्त विभाग के पत्रांक–एम0–4–53/2007–6439 दिनांक–28.08.18 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।

5. संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं0– 4099(एस॰) दिनांक–11.05.2017, पत्र सं0– 901(ई॰) दिनांक–08.02.2018 एवं 3723(ई॰), दिनांक– 14.05.2019 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।

6. यह आवंटन स्वीकृत योजनाओं हेतु आवंटन विवरणी के स्तम्भ–6 में अंकित आपके पत्रांक / दिनांक तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में दी जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उक्त स्वीकृत्यादेशों मे किये गये प्रावधानों एवं निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

8. विगत वित्तीय वर्षो की स्वीकृत एवं एकरारनामित योजनाओं, जिनके विरूद्ध कार्य का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है, के सम्बंध में आवश्यक स्पील ओभर की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9. यह व्यय प्रशासनिक / प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।

10. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्गत आवंटन का उपयोग उन पथों/पथांशों के लिए किय जाएगा, जिनका सेवा स्तर (Service level) MBD में प्रावधानित मानक के अनुरूप है।

11. वैसे पथ / पथांश, जिनका सेवा स्तर प्रावधानित मानक के अनुरूप नहीं है एवं पथ में कराये गये कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं है, का भुगतान MBD में प्रावधानित कटौतियों यथा Deductions for Non-compliance, Liquidated damage आदि का नियमानुसार समायोजन के उपरान्त ही किया जाए। अगला कोई भी भुगतान के पूर्व कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखापाल यह सुनिश्चित कर लेगें की एकरारनामा की तिथि से इस भुगतान तक एजेंसी से जो भी कटौतियाँ अनुमान्य होती है, उसे अनिवार्यतः कटौती कर ली जाय।

भविष्य में कार्यपालक अभियंता द्वारा पारित किये जाने वाले प्रत्येक विपत्र पर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से यह प्रमाण पत्र अंकित कराया जाय कि "MBD के अन्तर्गत सेवा स्तर संधारण में कमी/विलंब हेतु नियमानुसार कटौती कर ली गई है "। सरकारी राशि के नियमानुसार व्यय के लिए कार्यपालक अभियंता जिम्मेदार होंगें।

12 खर्च को आवंटित राशि तक सीमित रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक खर्च नहीं किया जाय। किसी तरह के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। बकाये राशि की शुद्धता एवं ... की जॉच निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेगें। किसी ... प्रकार के त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार समझे जायेगें।

13 कुल आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में निश्चित रूप से महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार को उपलब्ध कराते हुए मदवार/कार्यवार मिलान कराया जाय तथा मिलान की एक प्रति विभाग में निश्चित रूप से समर्पित किया जाय, अन्यथा अगला आवंटन देना सम्भव नहीं होगा।

14 यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—2026 में नहीं हो सके तो बचत की राशि का प्रत्यार्पण दिनांक—15.02.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

15 प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

16 इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु0 — यथोक्त।

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या—09/निधि—(OPRMC)—01—07/2025— 170(S) पटना, दिनांक : 17/01/2026

प्रतिलिपि— अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव/सचिव कोषांग, प0नि0वि, पटना /सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता / अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, प0नि0वि0, पटना / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0, पटना /संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना /अधीक्षण अभियंता (अनु0), प0नि0वि0, पटना / अधीक्षण अभियंता (बजट), प0नि0वि0 / कार्यपालक अभियंता (बजट—1), प0नि0वि0/ आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी—9, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या–09/निधि–(OPRMC)–01–07/2025– 170 (S)WP पटना, दिनांक : 17/01/2026

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बांका।	2,00,00,000	2,00,00,000	4,00,00,000	EE 2100/17.12.2025
2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ	16,00,00,000	10,00,00,000	26,00,00,000	EE 08/05.01.2026
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर।	3,50,00,000	70,00,000	4,20,00,000	EE 1210/05.12.2025
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं० 1, गया जी	34,00,00,000	3,00,00,000	37,00,00,000	EE 28/07.01.2026
5	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा	12,56,00,000	7,50,00,000	20,06,00,000	EE 1452/30.12.2025
6	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार।	33,25,00,000	5,00,00,000	38,25,00,000	EE 1709/16.12.2025
7	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा	6,40,51,780	4,00,00,000	10,40,51,780	EE 3082/15.12.2025
8	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, संख्या–1, मुजफ्फरपुर।	28,00,00,000	8,00,00,000	36,00,00,000	EE 2877/31.12.2025
9	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	30,50,00,000	4,00,00,000	34,50,00,000	EE 51/08.01.2026
	कुल योग	**166,21,51,780**	**44,20,00,000**	**210,41,51,780**	

वर्तमान आवंटित राशि (शब्दों में)– चौवालीस करोड़ बीस लाख रूपये मात्र।

17.1.2026

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अंजनी कुमार 17/01/26

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।